

ORDER SHEET

THE COURT

शासन

UNCPR 452/25

देवेन्द्र उर्फ पप्पू पिता दीपचंद जायसवाल,
आयु-47 वर्ष, निवासी-विकास नगर चिचोली,
थाना चिचोली, जिला बैतूल, म.प्र.

Of 20

Date of order or proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
29-11-2025	1. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के प्रभावशाली आदेशानुसार/कार्यवितरण आदेशानुसार आरक्षी केन्द्र चिचौली जिला बैतूल, म.प्र. की ओर से अंकित मीणा क्रमांक 526 ने उक्त केंद्र के अपराध क्र. 262/2021 अन्तर्गत धारा 188 भा.दं.सं. एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अभियुक्त/अभियुक्तगण— 1. देवेन्द्र उर्फ पप्पू पिता दीपचंद जायसवाल, आयु-47 वर्ष, निवासी-विकास नगर चिचोली, थाना चिचोली, जिला बैतूल, म.प्र. 2- के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। 3. राज्य की ओर से ए.डी.पी.ओ. उपस्थित। 4- अभियुक्त अनुपस्थित है। 5- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 188 भा.दं.सं. एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। 6- अभियोग पत्र अनुसार घटना दिनांक 11.05.2021 की होना दर्शित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद थी। 7. धारा 188 भा.दं.सं. एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तीन वर्ष तक क के कारावास से कम के कारावास से दण्डनीय है। 8. भा.ना.सु.सं. की धारा 514 के अनुसार यदि कोई अपराध तीन वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है तो ऐसी स्थिति में उक्त अपराध का संज्ञान लिये जाने का परिसीमाकाल तीन वर्ष होगा।	

Date of order or proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	9. भा.ना.सु.सं. की धारा 515 के अनुसार उक्त परिसीमाकाल का प्रारंभ अपराध की तारीख से होगा एवं यदि अभियुक्त अज्ञात है तो अभियुक्तगण के प्रथम बार ज्ञात होने पर होगा। 10- अभियोग पत्र प्रथमदृष्ट्या धारा 514 भा.ना.सु.सं 2023 के अंतर्गत विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है। 11- ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाता है। 12- प्रकरण सांख्यिकीय दृष्टि से यू.एन.सी.आर. में दर्ज किया जाये। 13- प्रपत्र विधिवत कार्यवाही उपरांत विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजे जाये।  (रश्मि खुराना) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला बैतूल म.प्र.	